

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 136/2018

दायरा दिनांक : 21.08.2018

उनवान

गोपाल पुत्र रामलाल, जाति सहरिया, निवासी मुसई गुजरान, तहसील अटरू, जिला बारां

.....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कवाई, तहसील अटरू, जिला बारां

.....रेस्पोंडेंट

बहस हेतु उपस्थिति :- अभिभाषक अपीलांट – श्री बृजराज सिंह

अभिभाषक रेस्पोंडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 12.09.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 21.06.2018 प्रकरण संख्या 79/2018 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय नायब तहसीलदार कवाई के प्रकरण सं0 849/2017 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.11.2017 से अपीलांट को ग्राम मुसई गुजरान, तहसील अटरू की आराजी खसरा नम्बर 212 रकबा 0.40 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 200/- रुपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरुद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21.06.2018 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड़ दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज

644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवारी मण्डल मुसई गूजरान की मौका रिपोर्ट दिनांक 20.08.2018 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार प्रार्थी गोपाल पुत्र रामलाल, जाति सहरिया द्वारा ग्राम मुसई गूजरान की आराजी खसरा नम्बर 218 रकबा 0.40 हेक्टर किस्म चारागाह से कब्जा छोड़ दिया है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 यहां चस्पा होती है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है । लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 12.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा